REFERENCE TO THE REPORTED WITHDRAWL OF CASES AGAIST PERSONS WHO HIJACKED A PLANE FROM LUCKNOW IN 1979

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमन साहब, आज से सात-आठ साल पहले जब हाइजैकिंग शुरू हुई और इस तरह की घटना यूरोप में और मध्य-एशिया के देशों मे अक्सर होने लगी, तो पूरे विश्व का जनमत इस पर जागृत हुआ और सब लोगों की राय हुई कि यह तो ऐसी चीज है कि किसी राजनीतिक कारण से या किसी कारण से सैंकड़ों पैसेन्जर्ज की जान खतरे में पड़ जाती है मध्य-एशिया मे ऐसी घटनाए हुई, कुछ पलेस्टाइन और इजराईल के झगड़े में ऐसी घटना हुई यूरोप में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण विश्व में कुछ ऐसा जनमत बना और यह विचार व्यक्त किया गया, यू०एन०ओ० में भी इस तरह का विचार व्यक्त किया गया कि हरेक देश यह प्रयास करे कि हाइजैकिंग की घटना न हो । कुछ और देशों ने कानून बनाया अपने देश में भी इस पर अपना विचार चल रहा था और शायद अभी भी विचाराधीन है सरकार के कि हाइजैकिंग के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना न हो जिस मे बेचारे निर्दोष यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है और जिससे कोई मतलब नही होता है यात्रियों से । तो जब इस तरह की बात हमारे देश में भी चल रही है तो सरकार ने सोचा होगा इस तरह का कानून बनाए और मेरे ख़याल में सरकार ने बनाया होगा इस तरह का कानून ।

श्रीमन्, ऐसी ही घटना 1979 के शुरू में इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग विमान के साथ हुई और लखनऊ से उस विमान को उड़ा कर दो व्यक्ति--जिन के नाम बाद को मालूम हुए, भोला पाण्डे और देवेन्द्र पाण्डे--ये दोनों व्यक्ति देश के बाहर ले जाना चाहते थे लेकिन चालक (पाइलट) की होशियारी से वह विमान बाहर नही गया; पाइलट ने कह दिया कि विमान में इतना तेल नहीं है कि यह लाहौर या रावलपिंडी जा सके इसलिए इसको आप-पास ही आप जहां कहें वहां हम उतार सकते हैं । तो चालक की होशियारी के कारण वे दोनों हाइजैकर्स तैयार हो गए और विमान को वाराणसी में उतारा गया । श्रीमन्, अगर दूसरे देश में यह होता जैसा कि ईराक, ईरान या सऊदी अरब या यूरोप के देश है, तो दोनों को गोली से मार दिया जाता मगर अपने देश में एक परम्परा है, स्वस्थ परम्परा है कि बिना मुकदमा चलाए हुए, बिना न्यायालय में भेजे हुए किसी को सजा नहीं दी जा सकती है । उन कानून की परम्परा के अनुसार उन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा चल रहा था । एक तो श्रीमन् मैं यह कहूंगा कि इतना जघन्य अपराध करने वाले को कभी जमानत नहीं होनी चाहिए, सरकार की भी यह राय है और अभी अपना एक कानून संशोधित होने वाला है जिस के अदर सरकार चाहती है कि जघन्य अपराध करने वालों को, एन्टी सोशल एलिमेंट्स को, जो दूसरे लोगों की जान ख़तरे में डालें . . .

श्री उपसभापति : संक्षेप में कहें ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : . . . उन की जमानत नहीं होनी चाहिए । सी आर पी सी में अमेंडमेंट कर रहे हैं । लेकिन श्रीमन् इस में पता नहीं किस पोलिटिकल प्रेशर से इस में जमानत हो गई जब कि जमानत नही होनी चाहिए थी . . . (*Interruptions*)

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : आन अ पॉइन्ट आफ आर्डर । मैं बताना चाहूंगा, इस को जघन्य अपराध के साथ जोड़ते हैं या उस सत्याग्रह के साथ जो वह उन लोगों के खिलाफ कर रहे थे जो राजनैतिक मर्यादाओं का हनन करने की कोशिश कर रहे थे

[श्री सैय्यद सिबते रजी]

वह गांधीवादी रास्ता था, सत्याग्रह का रास्ता था और जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था... (*Interruptions*) और उस में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ, किसी को पता नहीं हुआ...

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : वह सत्याग्रह धरती में होता है, आसमान में तो नहीं होता ?

श्री सैय्यद सिबते रजी : आसमान में भी हो सकता है । गांधी जी ने यह नहीं कहा कि इसी धरती में अपराध होंगे... (Interruptions)

डा० भाई० महाबीर (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, प्रधान मंत्री कहती हैं कि अपोजिशन पार्टी को सरकार से सहयोग करना चाहिए । इसी तरह का सहयोग जैसा इन्होंने दिया था उस समय की सरकार को, क्या वैसा ही सहयोग ये आज की अपोजीशन पार्टी से चाहती हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित): जैसा सहयोग जनता पार्टी ने फर्नान्डीस जी को दिया था वैसा ही सहयोग था ।

डा० भाई महाबीर : क्या आप जो फर्नान्डीज साहब ने किया था, विमान के अपहरण को उसी आधार पर उचित ठहरा रहे हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : यह उस से बहुत हल्का है । कोई बम नहीं था, पिस्तौल नहीं था । मालूम हुआ कि खिलौना था... (*Interruptions*)

डा० भाई महाबीर: फिर 1942 में जो आंदोलन हुआ था उस में... (Interruptions)

श्री उपसभापति : इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : 1942 के आंदोलन के वक्त आपका पता भी नहीं था कि आप कहां थे । आप अंग्रेजों के साथ सहयोग दे रहे थे, और एस एस के लोग... (*Interruptions*)

डा० भाई महाबीर : पाण्डे जी, आप बुजुर्ग हो कर इस तरह की बातें करते हैं । अनर्गल बातें करते हैं ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : सच्चाई की बात करता हूं ।

डा० भाई महाबीर : सच्चाई का ठेका आपने ले लिया है तो फिर आपको वह ठेका मुबारक हो । लेकिन बात आपकी अनर्गल ही है ... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : बीच में खड़े होकर मत बोलिए । शाही जी, संक्षेप में कहिए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : संक्षेप में कहूंगा लेकिन महत्वपूर्ण बातों को कहूंगा । अगर जार्ज फर्नान्डीज ने रेल को गिराने की कोशिश की तो उस की निन्दा होनी चाहिए, वह गलत काम था । लेकिन उस की आड़ में सरकारी पक्ष के लोग इस तरह की बातें कहे और हाईजैकिंग को सपोर्ट करें इस से बड़ी गन्दी और गलत चीज नहीं हो सकती ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : डूब मरिये आप चुल्लू भर पानी में ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डूब मरना चाहिए आपको आप जैसे बुजुर्ग आदमी इस तरह की गलत बात कर रहे हैं ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : इसलिए कि आप अनर्गल बात कहते हैं (*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डूब मरना चाहिए आप जैसे बुजुर्ग आदमी को, आप गलत बात कह रहे हैं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Let him finish. Please let him finish. You had your say.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं सारी बातें कहूंगा (*Interruptions*)

श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी : आप जिस तरह से बात को बढ़ा रहे हैं (Interrptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not allow you. Yes, Mr. Shahi, you speak now (*Interruption*)

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: You control the House, and then I will speak.

श्रीमन्, यह कहना कि यह गांधी जी की बात है तो गांधी जी ने तो 42 में भी हिंसा की निन्दा की थी, साफ-साफ निन्दा की थी। गांधी जी ऐसे आदमी नहीं थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर पोलिटिकल पार्टी अपनी गन्दी हरकत को गांधी जी के नाम पर छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने यह गन्दा काम किया है अपनी नौकरी को बहाल रखने के लिए। आज का चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं है, उस ने नौकर का पद ग्रहण किया है, वह नामिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं है। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त...

श्री उपसभापति : वह दूसरा विषय हो गया।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सम्पूर्णानन्द जी ऐसे लोग थे जो इलेक्टेड थे। आज का नौकर चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकत कर रहा है, हाइजैकिंग के मुकदमों को विदड्रा कर रहा है अपनी नौकरी कायम रखने के लिए।

SHRI SYED SIBTE RAZI: Sir. on a point of order.

SHRI NAGESHWA RPRASAD SHAHI: No point of order. Sit down. (*Interruptions*)

No point of order. You sit down.

SHRI SYED SIBTE RAZI: Mr. Shahi, he is the elected Chief Minister.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आजकल का चीफ मिनिस्टर ऐसी हरकत कर रहा है जिस से देश का गंभीर नुकसान होगा। यह सवाल पार्टी का नहीं है। मैं इस को पार्टी के एंगिल से नहीं देखता। इस तरह का काम किसी पार्टी का व्यक्ति करे—चाहे जनता पार्टी का, लोकदल का या कांग्रेस का—बहुत ही निन्दनीय है। इसका नतीजा यह होगा कि लोग हवाई यात्रा बन्द कर देंगे अगर यह घटनाएं बढ़ेंगी। रेल के एक्सीडेंट से लोग भयभीत होते हैं रेल में सफर करने से। हाइजैकिंग होगी तो हवाई यात्रा बन्द कर देंगे। श्रीमन्, मैं इस तरह की हरकत की घोर निन्दा करता हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गलत काम किया अपनी नौकरी बचाने के लिए उस की घोर निन्दा करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramamurthi. Not here. Yes, Mr. Jha.

(*Interruptions*)

REFERENCE TO THE REPORTED TRAIN ACCIDENT AT SOMARIA NEAR BARAUNI ON THE 5TH DECEMBER, 1980.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं आप के जरिए इस सदन का ध्यान बिहार में तिमरिया के पास जो रेल दुर्घटना हुई उस की ओर खींच रहा हूं और चाहता हूं कि रेल मंत्री वक्तव्य दें कि क्या बातें हुईं। पटना का अखबार है, इस में लिखा है 40 से ज्यादा आदमी मरे और सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना तिमरिया के पास हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह घटनाएं जो हो रही हैं...

श्री उपसभापति : मेरे ख्याल से रेल मंत्री बयान देंगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): डिपुटी चेयरमैन ने आदेश दे दिया।

श्री उपसभापति : ऐसी घटना होती है तो बयान दिया जाता है।